



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]
No. 54]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 1995/माघ 26, 1916
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 1995/MAGHA 26, 1916

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1995

मा. का. नि. 70(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (समूह 'ग' पद) अर्ती नियम, 1979 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ तकनीशियन और तकनीशियन के पदों से है, उन बातों के सिवाय आंशिक रूप से अधिकांश करने हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण में पढ़ने किया गया है या करने का लोप किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन में ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी 1, ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी 2 और तकनीशियन के पदों पर अर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी 1 और 2 और तकनीशियन (समूह, 'ग' पद) अर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावृद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 से स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. अर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—अर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से स्तम्भ 15 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता.—वह व्यक्ति—

- (क) जिम्मे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 (ख) जिम्मे अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या ममीचीन है, वहाँ वह उमके लिए जो कारण है उन्हें वेगबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, प्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पंजन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. ज्येष्ठ नक- नीशियन श्रेणी 1	1117* (1995) *कार्यभार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा मनुह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1400-40- 1800-द. रो.- 50-2300 र.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपे- क्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिक्षेधा की अवधि, यदि कोई हो।
9			10			11
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

12

13

शान प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा। प्रोन्नति और स्थानान्तरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा।

परन्तु वह और कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण, इस प्रकार स्थानान्तरित संबंधित पदधारी के लिखित अनुरोध पर और उसके द्वारा लिखित रूप में यह सहमति दिए जाने पर ही अनुज्ञेय होगा कि नए क्षेत्र में उसके पदभार ग्रहण करने की तारीख को उस क्षेत्र में पहले के सभी ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी 2 से कनिष्ठ समझे जाने के प्रति उसे कोई आपत्ति नहीं है।

ऐसा ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी 2, जिसने उस श्रेणी में एक वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए नियमित आधार पर ज्येष्ठ तकनीशियन का पद धारण करने वाले ऐसे पदधारियों पर भी ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी 1 के पद के लिए विचार किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

14

15

क्षेत्रीय मुख्य इंजीनियर--अध्यक्ष

लागू नहीं होता।

अधीक्षण इंजीनियर/केन्द्र इंजीनियर श्रेणी की पक्ति का एक अधिकारी (जो क्षेत्रीय इंजीनियर के कार्यालय का न हो)

--सदस्य

अपेक्षित तकनीकी आधार वाले अन्य विभाग के समूह "क" इंजीनियरी अधिकारी -- सदस्य

1	2	3	4	5	6	7	8
2. ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी-2	1356* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	1320-30-1560-द. रॉ.-40-2040 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

9		10		11			
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		दो वर्ष			
12		13					
<p>शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा। प्रोन्नति और स्थानान्तरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा।</p> <p>परन्तु यह और कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण, इस प्रकार स्थानान्तरित संबंधित पदधारी के लिखित अनुरोध पर और उसके द्वारा लिखित रूप में यह सहमति दिए जाने पर ही अनुज्ञेय होगा कि नए क्षेत्र में उसके पद भार ग्रहण करने की तारीख को उस क्षेत्र में पहले के सभी ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी-2 से कनिष्ठ समझे जाने के प्रति उसे कोई आपत्ति नहीं है।</p>		<p>ऐसा तकनीशियन, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी: प्राकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए नियमित आधार पर तकनीशियन का पद धारण करने वाले ऐसे पदधारियों पर भी ज्येष्ठ तकनीशियन श्रेणी-2 के पद के लिए विचार किया जाएगा।</p> <p>स्थानान्तरण:—अन्य क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति, जो ममरूप या सम-तुल्य श्रेणी में कार्य कर रहे हैं।</p>					
14		15					
<p>निदेशक (इंजीनियरी), क्षेत्रीय कार्यालय—अध्यक्ष</p> <p>प्राकाशवाणी/दूरदर्शन से उपनिदेशक (इंजीनियरी) के स्तर का एक इंजीनियरी अधिकारी—सदस्य</p> <p>अपेक्षित सक्षमता रखने वाला समुचित स्तर का अन्य विभाग का एक अधिकारी—सदस्य</p>		लागू नहीं होता					
1	2	3	4	5	6	7	8
3. तकनीशियन	1440* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ग", भराजपत्रित, अननुसूचित	1200-30-1400-द.रो.-40-1800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)।	
9		10		11			
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और		लागू नहीं होता		दो वर्ष			
<p>(क) किसी आई टी आई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) से रेडियो/टेलीविजन इलैक्ट्रानिकी/विद्युत या समतुल्य में दो वर्ष का व्यवसाय (ट्रेड) प्रमाण-पत्र और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।</p> <p>या</p>							

9

(ख) क्रिमी आई टी आई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) से वातानुकूलन और प्रशीतन में एक वर्ष का व्यवसाय प्रमाण-पत्र और प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् दो वर्षों का अनुभव।

12

80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

13

आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत ऐसे सहायक (हेल्पर) :

- (क) जिन्होंने वर्ष की पहली जुलाई को सहायक (हेल्पर) के रूप में ग्यारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है; और
(ख) ऐसे सहायक (हेल्पर) जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

14

इंजीनियरी प्रभाग का प्रधान—अध्यक्ष
केन्द्र/कार्यालय का एक अधिकारी जो भर्ती किए जाने—सदस्य
वाले पद के कार्यों से परिचित हों
अपेक्षित तकनीकी सक्षमता रखने वाला समुचित स्तर का—सदस्य
बाहरी विभाग का एक अधिकारी

15

लामू नहीं होता

[सं. 301/1/93-बी (डी) (पी.टी.)]

नवीन चावला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 1995

G.S.R. 70(F).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in partial supersession of the All India Radio (Group C Posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as it relates to the posts of Senior Technician and Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate method of recruitment to the posts of Senior Technician Grade I, Senior Technician Grade II and Technician in the All India Radio and Doordarshan under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the All India Radio Senior Technician Grades I and II and Technician (Group C Posts) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay : The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc : The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 6 to 15 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes and Ex-Servicemen and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection posts	Whether benefit for added years of services admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules 1972
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Senior technician Grade I.	*1117 (1995) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Non-selection	Not applicable.
<hr/>						
Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation if any	
8.	9.		10.		11.	
Not applicable.	Not applicable.		Not applicable.		Two years.	
<hr/>						
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
12.	13.		14.		15.	
100% by promotion failing which by transfer. The promotion and transfer will be adhered to on zonal basis : provided that transfer from one zone to another will be permissible only on the written request of the official concerned so transferred and on his consent in writing that he has no objection to being treated as junior to all the Senior Technicians Grade II already in the zone on the date of his joining the new zone.	Senior Technician Grade II with one year regular service in the grade. Note : The incumbents holding the post of Senior Technician on a regular basis for a period of one year or more under the All India Radio (Group C Posts) Recruitment Rules, 1979 shall also be considered for the post of Senior Technician Grade I.		Zonal Chief Engineer—Chairman An officer in the rank of Superintending Engineer/Station Engineer's grade (other than the one belonging to the office of Zonal Engineer)—Member. A Group 'A' Engineering Officer of another Department having requisite technical background—Member.		Not applicable.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
2. Senior Technician Grade II	1356* (1995) *subject to variation dependent on work load	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1320-30-1360-EB-40-2040	Non-Selection	Not applicable
8.		9.	10.		11.
No applicable		Not applicable	Not applicable		Two years

12	13	14	15
100 % by promotion falling which by transfer. The promotion and transfer will be adhered to on zonal basis : provided that transfer from one zone to another will be permissible only on the written request of the official concerned so transferred and on his consent in writing that he has no objection to being treated as junior to all the Technicians already in the zone on the date his joining the new zone.	Technician with 3 years service in the grade. NOTE : the incumbents holding the post of Technician on a regular basis for a period of three years or more under the All India Radio (Group C Posts) Recruitment Rules, 1979 shall also be considered for the post of Senior Technician Grade-II. TRANSFER : Persons working in similar and equivalent grade from other zone.	Director (Engineering) of Zonal office—Chairman. An Engineering Officer of the level of Deputy Director (Engineering) from All India Radio/Doordarshan—Member. An officer of another Department of appropriate level having requisite competence—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
3. Technician.	1440* (1995) *subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C' Non-gazetted Non-Ministerial.		Rs. 1200-30-1440-EB-40-1800.	Non-Selection	Not-applicable

8	9	10	11
18 to 25 years (Relaxable upto 35 years for Government servants).	Matriculation or equivalent and (a) A two year trade certificate from an ITI in Radio/TV Electronics/Electrical or equivalent with one year practical experience after obtaining the certificate. OR (b) A one year trade certificate from an ITI in air conditioning and refrigeration with two years experience after obtaining the certificate.	Not applicable	Two years

12	13	14	15
80% by direct recruitment, 20% by promotion	<p>Helpers working in All India Radio and Doordarshan.</p> <p>(a) who have completed 11 years of service as Helper on the 1st July of the year and</p> <p>(b) Helpers who have passed the Departmental Competitive Examination with 50% minimum marks in each paper.</p>	<p>Head of Engineering Division—Chairman.</p> <p>An officer of the station/office familiar with the work of the post to which recruitment is being made—Member.</p> <p>An officer of an outside Department of appropriate level having requisite technical competence—Member.</p>	Not applicable.

[No. 301/1/93-B(D) (Pt.)]

N. CHAWLA, Jt. Secy.